न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 51/2024

अपीलांट –
जोरो देवी पत्नी जुगताराम जाति मेगवाल निवासी सीलू पटवार क्षेत्र गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोंडेंट्स –
1. छगनाराम पुत्र जुगताराम
2. मेहराराम पुत्र जुगताराम
3. डूंगराराम पुत्र जेठाराम
4. भैराराम पुत्र जेठाराम
5. श्रवण पुत्र जेठाराम
6. उदाराम पुत्र मेवाराम
7. हरचन्दराम पुत्र चैलाराम
8. निम्बाराम पुत्र चैलाराम
9. केसाराम पुत्र चैलाराम
10. कान्तीलाल पुत्र चैलाराम
11. सुखदेव पुत्र चैलाराम
12. जीवो पुत्री चैलाराम जाति मेगवाल निवासी सीलू तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
13. ओमप्रकाश पुत्र हिमथाराम जाति मेगवाल निवासी गोगाजी का मन्दिर तहसील गिड़ा जिला बालोतरा
14. सुरेश कुमार पुत्र घेवराराम जाति मेहतर निवासी हरिजनों की बस्ती, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेरे
15. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 2476 दिनांक 30.07.2019 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो० संख्या 9, 11, 12 की ओर से उपस्थित।
3. श्री डालूराम गोदारा, अधिवक्ता रेस्पो० 13 की ओर से उपस्थित।
4. अवशेष रेस्पो० बावजूद सूचना अनुपस्थित।
5. रेस्पो० सं. 15 प्रफोमा पक्षकार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:21:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 15.07.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 2476 दिनांक 30.07.2019 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा सीलू में खेत खसरा संख्या 33/4 रकबा 50–00 बीघा भूमि खातेदारान उदाराम गोद पुत्र मेरामा 1/4, हरचन्द केसा निम्बा सुखेदव कान्ति जीवो पि. चैला, मेहरा छगना पि. जुगता, जोरो पत्नी जुगता 1/4, डूगरा भैरा श्रवण पि. जेठा 1/4, जोरो पत्नी जुगताराम 1/4 कौम मेगवंशी सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 30.07.2019 को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी गुडामालानी की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 2476 दिनांक 30.07.2019 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट एवं रेस्पों. संख्या 9, 11, 12 के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि मौजा सीलू में खेत खसरा संख्या 33/4 रकबा 50–00 बीघा भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 12 के पूर्वज धनाराम के नाम दर्ज थी। धनाराम का स्वर्गवास होने से धनाराम के उतराधिकारी चार पुत्र गोकलाराम, मेवाराम उर्फ मेरामाराम, जुगताराम, जेठाराम के नाम विरासत म्यूटेशन स्वीकृत किया गया। उपरोक्त खसरे की भूमि में चारो पुत्रों का बहिस्सा 1/4–1/4 खातेदारी दर्ज हुआ। तत्पश्चात गोकलाराम ने अपना सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा पुरूषोतम पुत्र भंवरलाल खटीक निवासी गुड़ामालानी को बेचान कर दिया तथा पुरूषोतम द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/4 हिस्से की भूमि अपीलांट को बेचान कर दी। [illegible] भूमि में अपीलांट द्वारा पुरूषोतम से क्रय भूमि 1/4 एवं वि[illegible] मिली भूमि 1/16 कुल हिस्सा 5/16 अर्थात 15 बीघा [illegible] अपीलांट के हिस्से में आई। उक्त खसरे का आपसी सहमति से बटवारा करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष आवेदन पेश किया जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी ने उपरोक्त खसरे की भूमि में अपीलांट जोरो देवी के उपरोक्त वर्णित 5/16 हिस्से के अनुसार भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:21:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

का आपसी सहमति से बंटवाडा करना चाहिये था जबकि 15 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि के स्थान पर 04 बीघा 03 बिस्वा 06 बिस्वांशी भूमि अपीलांट के हिस्से में गलत दर्ज की गई। अपीलांट व उतरदाता संख्या 1से14 की भूमि का विभाजन पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त व विधिक हिस्सों के अनुसार नहीं कर गलत पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। अपीलांट व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त एवं विधिक हिस्सों के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलांट अनपढ़ एवं ग्रामीण महिला होने से उक्त बंटवाडे का ज्ञान नहीं हुआ। दिनांक 16.09.2024 को उतरदातागण द्वारा अपीलांट को बेदखल करने की धमकी दी और अपीलांट को कहा कि हमारे हिस्से में भूमि ज्यादा आती है और इसी प्रकार के आलौच्य आदेश से बंटवाडे से हमें भूमि ज्यादा मिली है। जिस पर अपीलांट ने रेकर्ड की जांच की तो पता चला कि सहमति से विभाजन पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार व विधिक हिस्से अनुसार नहीं किया गया तब अपीलांट ने उक्त सहमति विभाजन की तहसीलदार शिव नकलें मांगी जो नकले अपीलांट्स को दिनांक 17.09.2024 को प्राप्त हुई। को प्राप्त हुई। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की जावें एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 9,11,12 के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा सीलू में खेत खसरा संख्या 33/4 रकबा 50–00 बीघा भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स संख्या 1 एवं 12 के पूर्वज धनाराम के नाम दर्ज थी। धनाराम का स्वर्गवास होने से धनाराम के उताराधिकारी द्वारा को दिनांक 30.07.2019 को तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी गुड़ामालानी द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव [illegible] हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश [illegible] स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अपीलांट स्वंय [illegible] सहमति एवं उनकी उपस्थिति में पारित हुआ हैं। अपीलांट को इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी तथा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:21:31 IST
Reason: SelfAttested

अब जमीनों की कीमतों में वृद्धि हो जाने तथा नियत में फर्क आने से रेस्पोडेंट के कब्जे–काश्त की भूमि को हड़पने की नियत से यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों के साथ मयाद बाहर प्रस्तुत की हैं जो खारिज योग्य हैं। अवशेष रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है मौजा सीलू में खेत खसरा संख्या 33/4 रकबा 50–00 बीघा भूमि खातेदारान उदाराम गोद पुत्र मेरामा 1/4, हरचन्द केसा निम्बा सुखेदव कान्ति जीवो पि. चैला, मेहरा छगना पि. जुगता, जोरो पत्नी जुगता 1/4, डूगरा भैरा श्रवण पि. जेठा 1/4, जोरो पत्नी जुगताराम 1/4 कौम मेगवंशी सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 30.07.2019 को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी गुडामालानी की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 2476 दिनांक 30.07.2019 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन विभाजन में अपीलांट के हिस्से में 11 बीघा 09 बिस्वा 04 भूमि कम देने से अपीलांट की ढाणी, पानी का टांका और मवेशी के बाडे इत्यादि उतरदातागण के हिस्से मे चले गये है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट के मुख्य कथन में प्रकट किया गया हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि में अपीलांट द्वारा पुरूषोतम से क्रय भूमि 1/4 एवं विरासत से मिली भूमि 1/16 कुल हिस्सा 5/16 अर्थात 15 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होनी चाहिए परन्तु अपीलांट उक्त भूमि के स्थान पर 04 बीघा 03 बिस्वा 06 बिस्वांशी भूमि अपीलांट के हिस्से में गलत दर्ज की गई। जिससे अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त एवं विधिक हिस्सों अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 9,11,12 के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट स्वंय की सहमति एवं उनकी उपस्थिति में पारित हुआ हैं। जिसकी अपीलांट को इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी इसलिए अपीलांट की यंह अपील मयाद बाहर व सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पो. द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है [illegible] तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा एवं खातेदारान के हिस्सों के बाबत कोई जांच नहीं की गई है। अपीलांट को अपने विरासत में प्राप्त 1/16 हिस्सा के साथ–साथ 1/4 हिस्सा भूमि क्रय द्वारा प्राप्त हुई हैं एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:21:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार हिस्सा दर्ज था, इसक बावजूद विभाजन में उसे अपने बेटों मेहरा एवं छगना के साथ संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा दिया गया हैं। राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक–हिस्सा को परिवर्तित करने का अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के हिस्सों एवं मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 2476 दिनांक 30.07.2019 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार गुड़ामालानी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा, निष्फ हिस्सा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:21:31 IST
Reason: SelfAttested